प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**युगल पीठ :**

**माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी एवं**

**माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्तिगण**

**रिट अपील क्रमांक 179/2011**

**अपीलार्थीगण** पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं अन्य

**बनाम**

**उत्तरवादीगण** सुमित कुमार सोनी

---

**विचारार्थ प्रस्तुत आदेश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**हस्ताक्षरित**

**न्यायाधीश**

**29/2/2012**

**माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्ति**

मैं सहमत हूँ।

**हस्ताक्षरित**

**जी. मिन्हाजुद्दीन**

**न्यायाधीश**

दिनांक 01/03/2012 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें।

**हस्ताक्षरित**

**डॉ. आई.एम. कुद्दुसी**

**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**युगल पीठ :**

**माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी एवं**

**माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्तिगण**

**रिट अपील क्रमांक 179/2011**

**अपीलार्थीगण** पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं अन्य

**बनाम**

**उत्तरवादीगण** सुमित कुमार सोनी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

---

**उपस्थित**: अपीलार्थीगण की ओर से श्री रमाकांत मिश्रा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी की ओर से श्री बी.पी. राव, अधिवक्ता ।

---

**निर्णय**

(01.03.2010)

**डॉ. आई.एम. कुद्दुसी, न्यायमूर्ति द्वारा,**

1. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यू.पी. (सी) क्रमांक 626/10 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2010 को चुनौती दी गई है, जिसके माध्यम से रिट याचिका को स्वीकार किया गया था।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उत्तरवादी ने 54.89% अंकों के साथ एल.एल.एम. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात, अपीलार्थी क्रमांक 1 के



समक्ष एम.फिल. या विधि में पी.एच.डी. की डिग्री के पंजीकरण हेतु आवश्यक शुल्क और दस्तावेजों के साथ आवेदन किया था, किंतु अपीलार्थी क्रमांक 1 ने उत्तरवादी को उक्त डिग्री पाठ्यक्रम में पंजीकृत करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि वह प्रवेश हेतु अपात्र है क्योंकि उसने पास न्यूनतम अर्हकारी अंक अर्थात् 55% प्राप्त नहीं किए है । इससे व्यथित होकर, उत्तरवादी ने इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर की और विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और यह आदेश दिया कि यदि कोई अन्य बाधा न हो, तो उत्तरवादी को एम.फिल. या पी.एच.डी. में पंजीकरण के लिए न्यूनतम योग्यता अर्थात् 55% अंक प्राप्त माना जाए। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने यह रिट अपील प्रस्तुत की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अपीलार्थी क्रमांक 1-विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 45 के अनुसार, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के अभ्यर्थी के पास आवेदन के समय मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंक होने चाहिए, और चूंकि उत्तरवादी ने एल.एल.एम.

पाठ्यक्रम में केवल 54.89% अंक प्राप्त किए थे, इसलिए वह डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु हकदार नहीं था। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरवादी के अंकों के पूर्णांकन की अनुमति देने में



त्रुटि की है, क्योंकि अपीलार्थी क्रमांक 1 के अध्यादेश क्रमांक 45 के तहत अंकों के पूर्णांकन या शिथिलीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

4. दूसरी ओर, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देते हैं कि डिग्री पाठ्यक्रम में पंजीकरण हेतु उत्तरवादी को न्यूनतम योग्यता अर्थात् 55% अंक प्राप्त मानने का रिट न्यायालय का निर्देश "पूर्णांकन" के सिद्धांत के दायरे में आता है और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के उपरोक्त तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश अध्यादेश-45 (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) द्वारा निर्देशित होता है और उसकी धारा 3 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के पंजीकरण हेतु पात्रता मानदंडों से संबंधित है। धारा 3 इस प्रकार है:-

क- डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के अभ्यर्थी के पास, आवेदन के समय, किसी विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक) / सात-बिंदु पैमाने पर 'बी' / या समकक्ष ग्रेड पॉइंट औसत होना चाहिए।



Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अथवा

किसी विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से एम.फिल. की डिग्री धारक हो।

अथवा

ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास शोध / शिक्षण का कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो और मानक शोध पत्रिकाओं में कम से

कम 5 शोध पत्र प्रकाशित हों, भले ही उसके पास मास्टर डिग्री में 55% अंक न हों।

ख. परंतु यह कि अभ्यर्थी को पी.एच.डी. कार्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष में एक बार, अधिमानतः अक्टूबर में आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया/विधियाँ विश्वविद्यालय द्वारा तय की जाएंगी।

ग. निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में बैठने से छूट दी जाएगी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur



i. वे अभ्यर्थी, जो यूजीसी-सीएसआईआर (जेआरएफ) परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, जिसमें नेट लेक्चरशिप/स्लेट/गेट या राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे आईसीएमआर , आईसीएसएसआर आदि द्वारा आयोजित कोई अन्य जेआरएफ परीक्षा शामिल है।

ii. (अ) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से एम.फिल. की डिग्री धारक अभ्यर्थी, बशर्ते कि

उनका एम.फिल. डिग्री में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हुआ हो।

(ब) अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से एम.फिल. की डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होना होगा, लेकिन यदि 'कोर्स वर्क' उनकी एम.फिल. डिग्री का हिस्सा रहा है, तो उन्हें उससे छूट दी जाएगी।

iii. 'टीचर फेलोशिप' धारक और विश्वविद्यालय या संबद्ध कॉलेजों के किसी विभाग में नियमित पद (नियमित नियुक्ति) धारक शिक्षक, जिन्होंने शिक्षक के रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur



iv. किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय (उदाहरण के लिए डी.एस.टी.-सी.एस.आई.आर. वित्त पोषित आदि) और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (उदाहरण के लिए, डबल्यू.एच.ओ. वित्त पोषित आदि) के वैज्ञानिक, जिन्होंने दो वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया हो।

7. उपरोक्त धारा के पठन मात्र से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के अभ्यर्थी के पास, आवेदन के समय, कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हालांकि, उपरोक्त शर्त उस मामले में लागू नहीं होती है जहाँ अभ्यर्थी के पास शोध/शिक्षण का कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो और मानक शोध पत्रिकाओं में कम से कम 5 शोध पत्र प्रकाशित हों। यह धारा आगे प्रवेश परीक्षा के बारे में और उन अभ्यर्थियों के बारे में भी बताती है जिन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है। हालांकि, पूरी धारा में कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया गया है कि किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम आवश्यकता तक लाने के लिए कोई पूर्णांकन या शिथिलीकरण अनुमत होगा, बल्कि अध्यादेश में स्वयं 'कम से कम अंक' पर जोर दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.



पंजीकरण चाहने वाले अभ्यर्थी के पास न्यूनतम अंक अर्थात् 55% अंक होने चाहिए।

9. उपरोक्त संबंध में, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दिए गए शब्दों 'कम से कम' (at least) के शब्दकोश अर्थ को यहाँ उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:—

"कम से कम" (at least) : "उससे कम नहीं या न्यूनतम या किसी भी स्थिति में।"

10. **ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन व एक अन्य बनाम रूपश्री चौधरी व अन्य, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 3276** में प्रकाशित किए गए प्रकरण में, उत्तरवादी, व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ संवर्ग) की सीधी भर्ती के लिए ओडिशा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सफल होने के पश्चात मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुई थी, किंतु सफल अभ्यर्थियों की सूची में साक्षात्कार हेतु उसका नाम नहीं था। उसने तत्काल मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जानने के लिए आवेदन किया और उसके अनुरोध पर उसे उसकी अंकसूची जारी की गई। अंकसूची प्राप्त होने पर, उसे ज्ञात हुआ कि उसने कुल 750 में से 337 अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात् कुल 44.93% अंक और प्रत्येक विषय में 33% से अधिक अंक। नियमों के नियम 24 के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के कुल योग में '45% से कम नहीं' और प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 33% से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाना चाहिए। चूंकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur



उत्तरवादी ने कुल 44.93% अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उसे साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया। व्यथित होकर उसने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार कर ली और अपीलार्थीगण को उत्तरवादी को साक्षात्कार के लिए बुलाने का निर्देश दिया। तत्पश्चात, माननीय उच्चतम न्यायालय ने

अपीलार्थी-आयोग की अपील को स्वीकार करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की:—

"10. कानून/नियमों में ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है जो किसी भी प्रकार के पूर्णांकन या अनुग्रह अंक देने की अनुमति देती हो जिससे कि किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम आवश्यकता तक लाया जा सके। हमारी सुविचारित राय में, इस प्रकार का कोई भी पूर्णांकन या शिथिलीकरण अनुमत नहीं था। नियम वैधानिक प्रकृति के हैं और उक्त वैधानिक नियमों में पूर्णांकन या शिथिलीकरण का लाभ देने के लिए कुछ शब्द जोड़कर उनमें कोई कमी या संशोधन करना अनुमत या संभव नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"13. जब किसी संविधि के शब्द स्पष्ट, सरल या असंदिग्ध हों, अर्थात्, वे तार्किक रूप से केवल एक ही अर्थ के योग्य हों, तो न्यायालय उन परिणामों की परवाह किए बिना उस अर्थ को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि अधिनियम स्वयं बोलता है। नियम



24 की भाषा में ऐसी कोई संदिग्धता नहीं है जिससे दो निष्कर्ष निकलते हों और उत्तरवादी के पक्ष में ऐसी व्याख्या की अनुमति मिलती हो जो संविधि के मंतव्य से भिन्न हो। अतः, विचाराधीन नियमों के नियम 24 की स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा को देखते हुए, कुल अंकों के पूर्णांकन की अनुमति नहीं है।"

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सिविल अपील क्रमांक 6205/11 (भानु प्रताप बनाम हरियाणा राज्य व अन्य**) में दिए गए अपने एक अन्य हालिया निर्णय में इसी तरह के विचार को दोहराया है कि जब संविधि में ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, न ही विज्ञापन में और न ही वैधानिक नियमों में ऐसा कोई अनुबंध किया गया है जो किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम आवश्यकता तक लाने के लिए किसी भी प्रकार के पूर्णांकन या अनुग्रह अंक देने की अनुमति देता हो, तो ऐसा कोई भी पूर्णांकन या शिथिलीकरण अनुमत नहीं है।

12. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहाँ नियमों की भाषा स्पष्ट और सुव्यक्त हो, वहाँ उनके परिणामों की परवाह किए बिना उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह भी स्थापित है कि प्राधिकारी उन नियमों के पैरामीटर्स (मापदंडों) के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य हैं जो वैधानिक प्रकृति के हैं, और उनका कोई भी उल्लंघन या शिथिलीकरण, चाहे वह "अनुग्रह अंक" देने के माध्यम से हो या "पूर्णांकन" के माध्यम से, निर्धारित मापदंडों से परे कार्य करने के समान होगा, जो कि अवैध होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur



13. वर्तमान मामले में, चूंकि अध्यादेश-45 में किसी भी प्रकार के "पूर्णांकन" या "अनुग्रह अंक" देने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है जिससे कि किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम आवश्यकता तक लाया जा सके, इसलिए अपीलार्थी

क्रमांक 1 द्वारा उत्तरवादी का पंजीकरण इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि मास्टर डिग्री में 55% के न्यूनतम अर्हकारी अंकों के विरुद्ध, उत्तरवादी ने केवल 54.89% अंक प्राप्त किए थे। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस निर्देश के साथ उत्तरवादी की रिट याचिका स्वीकार कर ली कि यदि कोई अन्य बाधा न हो, तो उत्तरवादी को पंजीकरण हेतु न्यूनतम योग्यता अर्थात् 55% अंक प्राप्त माना जाए।

14. उपरोक्त के आलोक में, हमारी यह राय है कि वर्तमान प्रकरण में जब अध्यादेश में ही प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंकों पर जोर दिया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कम से कम न्यूनतम अंक अर्थात् 55% प्राप्त किए जाने चाहिए, तो वहां "शिथिलीकरण" या "पूर्णांकन" का प्रश्न ही नहीं उठता, जैसा कि उत्तरवादी द्वारा मांग की गई थी और रिट न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से आदेशित किया गया था। यहाँ यह लिखना प्रासंगिक है कि यदि उत्तरवादी को उसकी मांग के अनुसार "पूर्णांकन" का लाभ दिया जाता है, तो उस नियम का कोई अर्थ नहीं रह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. जाएगा जिसमें यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के पास कम से कम उतने न्यूनतम अंक होने चाहिए जितने उसके तहत प्रदान किए गए हैं।

16. परिणामतः, यह रिट अपील स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेश दिनांक 03.08.2010 को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

| | |
|---|---|
| **हस्ताक्षरित** | **हस्ताक्षरित** |
| **डॉ. आई.एम. कुद्दुसी** | **जी. मिन्हाजुद्दीन** |
| **न्यायाधीश** | **न्यायाधीश** |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Translated By Malay Jain**